तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
20.07.2023	पत्रावली आज वास्ते निर्णय / आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
83 / 2004	2004 / 0089	25.05.2004	20.07.2023

उनवान प्रकरण

1. मदनलाल पुत्र सोना उर्फ श्योनारायण
2. घनश्याम पुत्र सोना उर्फ श्योनारायण

समस्त जाति जांगिड निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

–वादीगण

बनाम्

1. महादेव पुत्र सोना उर्फ श्योनारायण जाति जांगिड निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
2. सुरजमल पुत्र भूराराम जाति जांगिड निवासी रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
3. मैनेजर आई0सी0आई0सी0आई0बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

––प्रतिवादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित :–

श्री रक्षपाल स्वामी, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी, एड0 प्रतिवादी संख्या 1 अभिभाषक।

20/07/23

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

दावा घोषणा हक खातेदारी एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा
88, 188 आर.टी.एक्ट
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 2051 रकबा 0.86 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.82 हैक्टर तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में स्थित है। यह भूमि वादीगण व प्रतिवादी की शामलाती होकर पैत्रिक भूमि हैं। इस भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 490 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा स्थित तन् ग्राम नाथूसर था। वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है। जिसका सजरा खानदान पेश है। वादीगण के पिता सीता की मृत्यु संवत 2011 में हो गई थी। उस वक्त प्रतिवादी 12 वर्ष, वादी नम्बर 1, 9 वर्ष, वादी संख्या 2, 6 वर्ष का था, इस प्रकार तीनों भाई ही नाबालिग थे। विवादित भूमि को संवत 2011 तक वादीगण का पिता काश्त करता था तथा संवत 2012 से अब तक वादीगण व प्रतिवादी तीनों भाई बराबर–बराबर हिस्सानुसार काश्त करते आ रहे होकर काबिज काश्त हैं तथा संवत 2012 में परिवार के बड़े व मुखिया के रूप में अकेले प्रतिवादी के नाम ही भूमि की खातेदारी अंकित हो गई। जो गलत अंकित हो गई। तीनों भाईयों वादीगण व प्रतिवादी प्रत्येंक के 1/3 हिस्सानुसार खातेदारी अंकित होनी चाहिए थी। वादीगण व प्रतिवादी तीनों भाईयों में आपस में प्रेम था। कोई विवाद नही था तथा प्रतिवादी वादीगण को हमेशा विश्वास दिलाता रहता था कि तुम्हारे नाम में खातेदारी तुम्हारे हिस्से की अंकित अपने आप करवा दूंगा। [illegible] वादीगण विश्वास करते रहे। अब प्रतिवादी की नियत खराब हो [illegible] अपने नाम खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

होने का गलत फायदा उठाने की गर्ज से दिगर को बेचान करने पर आमादा हो रहा है। दिनांक 15.05.2004 को वादीगण को गांव में शक हुआ कि प्रतिवादी विवादित भूमि के सम्पूर्ण भाग को दिगर लोगों को बेचान की बातचीत गुपचुप रूप से कर रहा है। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादी को विवादित भूमि के 2/3 हिस्सा की खातेदारी उनके नाम कराने हेतु कहा तो पहले तो प्रतिवादी ने हां किया बाद में मना करने लगा। इस पर वादीगण ने गांव परिवार के अन्य भाई बन्धुओं को व रिश्तेदारों को बुलाया तब प्रतिवादी ने वादीगण का हिस्सा उनके नाम कराने की सहमति दी परन्तु बाद में जब वादीगण ने इसकी लिखा पढी करने हेतु कहा तो प्रतिवादी ने लिखा पढी करने से इन्कार कर दिया तथा कल दिनांक 24.05.2004 को प्रतिवादी गांव से गायब दिगर लोगों के साथ हो गया। जिससे वादीगण को यह आशंका हो गई कि वह वादीगण के हक की विवादित भूमि के 2/3 हिस्सा का भी बेचान दिगर लोगों को कर देगा। न्यायहित में वादीगण का विवादित भूमि के 2/3 हिस्सा का बराबर-बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड में उनके नाम खातेदारी अंकित कराया जाना तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना अति आवश्यक है कि वह वादीगण के विवादित भूमि के 2/3 हिस्सा पर उनके कब्जे काश्त में मजाहमत नही करें न दिगर से करावे ना ही बेचान करें। दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वादपत्र वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न रूपेण डिक्री किए जाने का निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.96 हैक्टर, 2051 रकबा 0.86 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.82 हैक्टर स्थित तन ग्राम रतनपुरा के 2/3 हिस्से का वादीगण को वहिस्सा बराबर काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 2/3 हिस्से से प्रतिवादी का नाम हजफ कर उसके नाम 1/3 हिस्सा बदस्तुर रखा जावें। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह भूमि खसरा नम्बर 2050, 2051 कुल किता 2 कुल रकबा 1.82 हैक्टर स्थित तन् ग्राम रतनपुरा के 2/3 हिस्सा प्रार्थीगण के हिस्सा का बेचान नहीं करे ना ही कब्जा काश्त में मजाहमत करे ना ही दिगर से करावाए जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। यह वाद वास्ते घोषणा एंव स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किये जाने के आदेश दिये गये। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री सुरेन्द्र कुमार स्वामी एड0 ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया एवं एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया। जो स्वीकार किया जाकर प्रार्थी सूरजमल को प्रतिवादी संख्या 2 बनाया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जवाब दावा मय कोस दावा पेश किया गया। काउण्टर क्लेम अनुसार पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण को सीधे ही शहादत में लिया गया। प्रतिवादी संख्या 3 की तामील असालतन होने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर उक्त प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण साक्ष्य में वादी घनश्याम पुत्र सोना उर्फ श्योनारायण का एवं वादी साक्ष्य गवाह में रविकुमार पुत्र मुकेश व पतासी पुत्री श्योनारायण पत्नी बोदूराम के मुख्य परीक्षण में लिखितशुदा शपथ पत्र पेश हुए। जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने से वकील वादीगण ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निरतारण किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगणों ने अपनी–अपनी सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण का निरतारण बरूए राजीनामा किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य आपस में राजीनामा हो जाने तथा प्रतिवादीगण के द्वारा वादीगण के वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिये जाने से प्रकरण में सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते है।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहुपक्षीय बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली [illegible] साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23

दिलीप सिंह
अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2057-2060 की जमाबन्दी, वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपस में हुए राजीनामा, साक्ष्य वादीगण में पेश शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियों की खातेदारी पक्षकारान् प्रतिवादी संख्या 1 महादेव पुत्र सोना के नाम सम्पूर्ण हिस्से की दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता हैं। उक्त भूमि पक्षकारान् की पैत्रक कृषि भूमि होना तथा वादीगण अपने बुजुर्गान के समय से तीनों भाई बराबर-बराबर हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करते चले आना तथा कर्त्ता खानदान एंव परिवार में बड़े होने की वजह से खातेदारी वरवक्त सैटलमेंट सम्वत् 2012 में केवल मात्र महादेव पिता सोना के अकेले के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। प्रतिवादी नं. 1 के पिता सोना उर्फ श्योनारायण व प्रतिवादी सं. 2 का पिता भूराराम आपस में सगे भाई होना तथा भूराराम की मृत्यु संवत् 2006 में हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 2 की माता दूसरी जगह नाता पर चली जाने से प्रतिवादी सं. 2 का पालन पोषण वादीगण के पिता सोना राम के द्वारा ही किया जाना प्रस्तुत राजीनामा व बयानो से प्रकट होता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार करते हुए वादीगण के पक्ष में हाजिर अदालत उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत कर तस्दीक कराये जाने तथा वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में डिकी जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अपने राजीनामा में अंकित किया है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हैं तथा वादपत्र को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा वादीगण के पक्ष में तस्दीक कराये गये राजीनामा से वादपत्र में अंकित तथ्यों को बल प्रदान करता है। प्रकरण में अन्य शेष प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा राजीनामा पेश कर दिये जाने से वादपत्र में तनकीवाईज निर्णय नहीं किया जाकर बरूए राजीनामा सीधे ही निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं। जिसके आधार पर वादीगण द्वारा परस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर वादपत्र की न्यायिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

20/07/23
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा हक खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2050 रकबा 0.96 हैक्टर, 2051 रकबा 0.86 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.82 हैक्टर स्थित तन ग्राम रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के 1/2 हिस्से का वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर तथा 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 1 को व 1/4 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 2 को काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजफ कर उसके नाम 1/4 हिस्सा बदस्तुर रखा जावें। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जानें की स्वीकृति दी जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता हैं कि वे वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नहीं करें ना ही दीगर से करावे। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा दुरस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

20/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 20.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2023.08.16 11:18:05 IST
Reason: SelfAttested

20/07/23

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)